

प्रपत्र-2
परिशिष्ट

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की
धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग-1
(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना विवरण:-

(क) अपेक्षित वन भूमि के लिये प्रस्ताव/
परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण

जनपद मैनीताल के अन्तर्गत रामनगर में
रानीखेत रोड के किनारे प्लॉट सं० 8 एवं
9 में श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल पुत्र
श्री महेशानन्द घिल्डियाल

(ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि
और उसके आस-पास के वनों की
सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।

मानचित्र प्रस्ताव में संलग्न है।

(ग) परियोजना की लागत

पूर्व स्वीकृत लौज का नवीनीकरण किया
जाना है।

(घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने
का औचित्य।

(ङ) लागत लाभ विश्लेषण
(संलग्न किये जाने के लिये)

(च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।

कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:

आरक्षित वन भूमि 0.0250 है०

परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण
यदि कोई है।

= परिवारों की संख्या

= अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या

= पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिये)

ज्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत नजुरी आवश्यक है? (हां/नहीं)

नहीं

= प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुसंधान और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये)

= निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा

संलग्न।

For Agent Signature & Printing Stamp

Shubhdeep

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर

नाम:- श्री हरीश चन्द्र धिल्डियाल पुत्र
श्री महेशानन्द धिल्डियाल

दिनांक:-

स्थान:- *Ranimgar*

मोहर

प्रस्ताव की क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

प्रपत्र - 2.1

भाग-II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

परियोजना/स्कीम का स्थान

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	-	उत्तराखण्ड प्रदेश
जिला	-	नैनीताल
वन प्रभाग	-	नैनीताल वन प्रभाग
वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	-	0.0250 है०
वन की कानूनी स्थिति	-	आरक्षित वन क्षेत्र
हरियाली का घनत्व		
प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ०आर०एल०-8 मी० पर परिगणना भी संलग्न किये जाए।	-	लीज का नवीनीकरण किया जाना है वृक्ष प्रभावित नहीं होते हैं।
भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	-	नहीं
वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।	-	नहीं
क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण-जैवमण्डल रिजर्व बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा समक्ष प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या	-	नहीं
प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मददार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	-	अपरिहार्य एवं न्यूनतम है।

9. क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चाह रहे हैं।

नहीं

प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:-

- (i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/ अवक्रमित वन क्षेत्र आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।
- (ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/ अवक्रमित पल क्षेत्र आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।
- (iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एंजेंसी समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।
- (iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय-

संलग्न

संलग्न

संलग्न

- अप्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से राक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये)
11. जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः - उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)

संलग्न

12. प्रभाग/जिला प्रोफाईल जिला का भौगोलिक क्षेत्र।-

- (i) जिला का वन क्षेत्र। -
- (ii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र -
- (iii) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण -

- (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि-
- (ख) वनेत्तर भूमि पर तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति

(क) वन भूमि पर

(ख) वनेत्तर भूमि पर

141.59 है०

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

स्थान, जहाँ की वन भूमि शामिल की गयी है।
वन सन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण
किया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की
तारीख और किये गये प्रश्नों को, निरीक्षण नोट
के रूप में संलग्न करें।

क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी
सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में
सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के
साथ विशेष सिफारिशें।

दिनांक :-

स्थान :-

हस्ताक्षर:-

भाग और पदमाला:-

सरकारी मोहर:-

कृपया ध्यान दें:-

प्रपत्र - 2.3

भाग - IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

- टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उय वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

दिनांक :-

स्थान :-

हस्ताक्षर:-

नाम और पदनाम:-

सरकारी मोहर:-

प्रपत्र - 24

भाग - V

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

18. राज्य सरकार की सिफारिश:
(उपर्युक्त भाग-2 या भाग-3 या भाग-4 में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिफूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये)

दिनांक :-

स्थान :-

हस्ताक्षर:-

नाम और पदनाम:-

सरकारी मोहर:-